



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1601]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 22, 2019/ज्येष्ठ 1, 1941

No. 1601]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 22, 2019/JYAISTHA 1, 1941

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

(राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन)

आदेश

नई दिल्ली, 21 मई, 2019

का.आ. 1793(अ).—केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धाराओं (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है:-

- (1) इस आदेश को गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) प्राधिकरण (संशोधन) आदेश, 2019 कहा जाएगा।
(2) यह आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) आदेश, 2016 के अनुच्छेद 56, उप अनुच्छेद (1) के खंड (बी) में लिखे शब्दों "किसी भी स्थानीय प्राधिकारी, जिला गंगा समिति के अध्यक्ष के रूप में" के स्थान पर शब्दों "किसी भी स्थानीय प्राधिकारी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. स्था. 01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

नोट: प्रमुख आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), का.आ. 3187 (अ), दिनांक 7 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित किया गया था।

**MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA
REJUVENATION****(National Mission for clean Ganga)****ORDER**New Delhi, the 21st May, 2019

S.O.1793(E). — In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following Order to amend the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, namely: —

1. (1) This Order may be called the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities (Amendment) Order, 2019.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, in paragraph 56, in sub-paragraph (1), in clause (b), for the words “any local authority, as the Chairperson of the District Ganga Committee”, the words “any local authority” shall be substituted.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG-Vol-III]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Admin.)

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016.